संख्या–1248 / पाँच–5–2020

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ; दिनांक: 11 जून 2020**

विषय–कोविड–19 से बचाव एवं राहत कार्य हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस) के वॉलंटियर का कोविड स्वयं सेवक में पंजीकरण एवं उनकी सेवायें लिए जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि कोविड–19 का संक्रमण बढ़ने से गाँवों में भी इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में गाँवों में कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए कोविड स्वयं सेवकों की सेवाओं की आवश्यकता होगी। स्वयं सेवक, कोविड–19 रिस्पांस योजना पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त समुदाय को सहयोग करने के लिए सम्बन्धित गाँव में सौंपे गये स्वैच्छिक सेवा कार्य करेंगे।

2– इन राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस) वॉलंटियर्स द्वारा पूर्व में भी कई महत्वपूर्ण सेवाओं / आपदाओं के समय अपना सराहनीय योगदान दिया गया है। आज कोविड–19 के बढ़ते संकमण के दृष्टिगत पुनः स्वास्थ्य विभाग को इनकी सेवाओं की आवश्यकता है। इस हेतु वॉलंटियर का पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर किया जाना है। इस सन्दर्भ में चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–1151 / पांच–5–2020, दिनांक 28 मई, 2020 में पंजीकरण हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये है। (छायाप्रति संलग्न)

3– उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया एन.एस.एस के नोडल अधिकारियों के माध्यम से एन.एस.एस वॉलंटियर्स को पोर्टल पर अधिक से अधिक संख्या में पंजीकृत कराने के लिए अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिससे आने वाले समय में उनकी सेवाएं कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए गाँव स्तर पर ली जा सके।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

Pankaj/GO/COME-3

संख्या–1248(1)/पांच–5–2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अपर मुख्य सचिव, गृह/राजस्व विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र, लखनऊ।
4. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उ0प्र0।
6. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।
7. एकीकृत आपदा प्रबंधन डेटा सेंटर, राहत आयुक्त कार्यालय, उ.प्र. शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

11.6.2020

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

11.6.2020

11.06.2020

Pankaj/GO/COME-3

संख्या– 1151 पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ, दिनांक 28 मई 2020

विषयः कोविड–19 महामारी से बचाव एवं राहत हेतु कार्यों के लिए कोविड वालंटियर्स (कोविड स्वयं सेवकों) के पंजीकरण एवं उनकी सेवाएं लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि पूर्व में शासन के विभिन्न योजनाओं, कार्यकमों एवं संकटकालीन परिस्थितियों में विभिन्न सेवा कार्यों में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (NYKS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), युवक/महिला मंगल दल एवं रेडक्रॉस के स्वयं सेवकों/सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण का प्रसार अब धीरे–धीरे गांवों में भी हो रहा है। अतः गावों में कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु इन स्वंय सेवकों की सेवाएं अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। उक्त के दृष्टिगत गावों में कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु इन स्वयं सेवकों की सेवायें लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के संकमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु स्वयं सेवकों की सेवायें लिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाय :–

क. कोविड वालंटियर्स के पंजीकरण एवं उनके कार्यों के अनुश्रवण इत्यादि कार्यवाही के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति होगीः–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी,	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4.	अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व)	सदस्य
4.	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य/नोडल अधिकारी
5.	जिलाधिकारी, स्वयं सेवी संस्थाओं के जनपद स्तरीय संयोजकों को अपने विवेकानुसार समिति में सदस्य के रूप में नामित कर सकते है।	

ख. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (NYKS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) युवक/महिला मंगल दल, रेडक्रॉस या अन्य संस्थाओं के सदस्य

–2–

जो स्नातक/परास्नातक हो, जिनकी आयु 21 से 30 वर्ष हो, तथा जो चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हों, कोविड वालंटियर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं।

ग. प्रारम्भ में इनके स्वैच्छिक कार्य की अवधि 03 महीने होगी जिसे बाद में प्रदेश में कोविड–19 परिदृश्य के दृष्टिगत विस्तारित किया जा सकता है। इस सेवा कार्य के लिए इन्हें किसी प्रकार का मानदेय नहीं होगा। सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् इन स्वयं सेवकों को इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

घ. इन स्वयं सेवकों का पंजीकरण {"http://dgmhup.gov.in/en/volunteerRegistration"}) लिंक में किया जायेगा।

ड. इन कोविड वालंटियर्स के पास स्वयं का एंड्रॉयड/स्मार्ट फोन होना चाहिए तथा इनका सम्प्रेषण कौशल अच्छा होना चाहिए

च. इन स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जायेगी तथा गतिविधियों की रिर्पोटिंग हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक टूल/अप्लीकेशन उपलब्ध कराया जायेगा।

3. कोविड स्वयं सेवक व्यक्ति/परिवार/समुदाय तथा स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य एक कड़ी होगें तथा निम्नलिखित कार्यो को नियमित रूप से सम्पादित करेगें:–

1. ये सभी कोविड वालंटियर्स कोविड–19 की रोकथाम हेतु प्रचार–प्रसार में मदद करेगें।
2. होम क्वारन्टाईन में जिन घरों में फ्लायर नहीं लगे हैं, इस सम्बन्ध में आशा कार्यकत्री के माध्यम से फ्लायर लगाना सुनिश्चित करायेंगे।
3. गावों में कोविड के लक्षण प्रकट होने पर कोविड वालंटियर्स कोविड संबंधी सूचना एकत्र कर अपनी दैनिक रिपोर्ट महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बेबसाइट पर दिये गये लिंक (dgmhup.gov.in/en/VolunteerReporting) पर अपलोड करेंगे।

4. आपसे अपेक्षा है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में नोडल अधिकारियों के माध्यम से स्वयं सेवकों/वालंटियर्स को पोर्टल पर अधिक से अधिक संख्या में पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने का कष्ट करें, जिससे आने वाले समय में इनकी सेवायें कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए गावों के स्तर पर ली जा सके।

5. इन सभी कोविड वालंटियर्स को उपयोग हेतु 02 मास्क (रीयूजेबिल), 01 बोतल सेनिटाईजर तथा 01 टी–शर्ट जिस पर कोविड वालंटियर्स प्रदर्शित हो रहा हो, उपलब्ध कराया जायेगा।

कृपया उक्त के सम्बन्ध में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

28.5.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1151(1)पांच–5–2020 तद्दिनांक
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव गृह/राजस्व विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन।
2. निदेशक, (प्रशासन) स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, संचारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव